अनुबंध VI

सीआईएसबीआई के उपयोग पर यूसीबी के लिए दिशानिर्देश

सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिज़र्व बैंक सीआईएसबीआई के लिए नोडल विभाग है और अन्य रिज़र्व बैंक विभागों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों और हितधारकों के साथ समन्वय करता है।

2. इस प्रणाली के तहत, बैंक, शाखाओं, कार्यालय, एनएआईओ, अन्य निश्चित ग्राहक सेवा बिंदुओं (सीएसपी) (जैसे एटीएम, आदि) से संबंधित जानकारी सीआईएसबीआई में प्रस्तुत की जानी चाहिए। सीआईएसबीआई को एक्सेस करने के लिए, प्रत्येक बैंक को दो प्रकार की यूजर आईडी आवंटित की जाती है: (I) "बैंक एडमिन आईडी" और (II) "बैंक यूजर आईडी"। रिज़र्व बैंक (डीएसआईएम-बीबीएसडी) प्रत्येक बैंक के लिए एकल "बैंक एडमिन आईडी" बनाएगा, जो बदले में कई "बैंक यूजर आईडी" बनाएगा। बैंक "बैंक एडमिन आईडी" का उपयोग करके अपने बैंक से संबंधित जानकारी को अपडेट कर सकते हैं और नई शाखाओं / कार्यालयों / एनएआईओ / सीएसपी की रिपोर्ट कर सकते हैं या दोनों आईडी का उपयोग करके मौजूदा शाखाओं / कार्यालयों / एनएआईओ / सीएसपी की स्थिति / पते में किसी भी परिवर्तन, बंद / विलय / रूपांतरण / स्थानांतरण / उन्नयन आदि की रिपोर्ट कर सकते हैं। हालाँकि, केवल "बैंक एडमिन आईडी" (और "बैंक यूजर आईडी" नहीं) ही उनके बैंक से संबंधित जानकारी में बदलाव कर सकता है।

3. सभी यूसीबी को सीआईएसबीआई में उक्त जानकारी प्रस्तुत करनी होगी, जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा प्रमाणीकरण और प्रकाशित किया जाएगा। बैंक एडमिन आईडी प्राप्त करने के लिए, बैंक को एक अधिकृत ईमेल आईडी प्रदान करनी चाहिए जिस पर रिज़र्व बैंक दो अलग-अलग ईमेल में "बैंक एडमिन आईडी" और उसका पासवर्ड भेज सकता है। सीआईएसबीआई से रिपोर्टिंग एक्सेस चाहने वाले नए यूसीबी को बैंक के नोडल व्यक्ति का विवरण, लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने के लिए एक ईमेल आईडी और निम्नलिखित कुछ बुनियादी दस्तावेजों के साथ अनुरोध पत्र प्रदान करते हुए रिज़र्व बैंक से संपर्क करना चाहिए:

ए) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार / सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार से निगमन का प्रमाणपत्र।

बी) रिज़र्व बैंक से बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस / प्राधिकरण।

सी) भारत में कारोबार शुरू करने का पत्र।

डी) कारोबार शुरू करने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा प्रेस विज्ञप्ति।

ई) पंजीकृत उपनियमों की एक प्रति।

4. ऊपर वर्णित दस्तावेजों के आधार पर, रिज़र्व बैंक सिस्टम में बैंक का "मूल विवरण" भरकर सीआईएसबीआई सिस्टम में बैंक का खाता खोलेगा।

5. सिस्टम "बैंक एडमिन आईडी" जनरेट करेगा और बैंक की निर्दिष्ट ईमेल आईडी पर "बैंक एडमिन आईडी" और इसके पासवर्ड (दो अलग-अलग ईमेल में) की ईमेल अधिसूचना स्वचालित रूप से भेजेगा।

6. बैंक को अपने आवंटित "बैंक एडमिन आईडी" का उपयोग करके सीआईएसबीआई पोर्टल (https://cisbi.rbi.org.in) पर लॉग इन करना चाहिए और पहले लॉगिन पर आवंटित पासवर्ड बदलना चाहिए।

7. बैंक को बैंक से संबंधित अन्य सभी जानकारी भरनी चाहिए और सीआईएसबीआई पोर्टल पर प्रस्तुत करनी चाहिए। रिज़र्व बैंक सीआईएसबीआई में जानकारी को प्रमाणीकरण और प्रकाशित करेगा।

8. बैंक से संबंधित पूरी जानकारी प्रस्तुत करने के बाद, सीआईएसबीआई बैंक-कोड और बैंक वर्किंग कोड उत्पन्न करेगा।

9. बैंक / बैंक वर्किंग कोड प्राप्त करने के बाद, बैंक अपने आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए "बैंक यूजर आईडी" बना सकता है। "बैंक यूजर आईडी" का प्रबंधन बैंक की जिम्मेदारी रहेगी।

10. बैंक "बैंक एडमिन आईडी" या "बैंक यूजर आईडी" के माध्यम से लॉग इन करके प्रोफार्मा के अनुसार अपनी नई शाखा / कार्यालय / एनएआईओ / सीएसपी से संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं।

11. मौजूदा जानकारी में किसी भी बदलाव की रिपोर्टिंग के लिए, बैंकों को मौजूदा जानकारी को संपादित करना चाहिए और परिवर्तन की प्रभावी तिथि इंगित करनी चाहिए।

12. बैंक अपने से संबंधित डेटा को एक्सेस / डाउनलोड करने की सुविधा का उपयोग भी कर सकते हैं।

13. "प्रपत्र भरने के अनुदेश" सीआईएसबीआई के अनुबंध II में दिए गए हैं।

14. बैंकों को हर तीन महीने में पासवर्ड रीसेट करना होगा। यदि पासवर्ड अवधि-समाप्त हो जाती है, या इसे भुला दिया जाता है, तो वे सीआईएसबीआई पर लॉगइन कर सकते हैं और (ए) बैंक यूजर आईडी के लिए पासवर्ड रीसेट करने के लिए "बैंक एडमिन आईडी" का उपयोग करें और (बी) "बैंक एडमिन आईडी" का पासवर्ड रीसेट करने के लिए सीआईएसबीआई हेल्पडेस्क से संपर्क करें।

15. सभी परिवर्तन सिस्टम में प्रतिबिंबित होंगे और तदनुसार रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बाद ही डेटाबेस में जाएंगे।

16. शून्य रिपोर्ट: शून्य रिपोर्ट सीआईएसबीआई में बैंक की स्थिति को दर्शाएगी, अर्थात, महीने के दौरान खोले गए / बंद किए गए के साथ-साथ महीने के अंतिम दिन को कुल कार्यशील शाखाओं / कार्यालयों / एनएआईओ / अन्य निश्चित ग्राहक सेवा बिंदुओं (एटीएम आदि) की संख्या। रिपोर्ट सीआईएसबीआई से ही तैयार की जाएगी और बैंक यह प्रमाणित करेंगे कि सीआईएसबीआई में दी गई जानकारी सही और अद्यतन है। यदि किसी बैंक को सीआईएसबीआई द्वारा तैयार की गई "शून्य रिपोर्ट" और वास्तविक स्थिति में कोई अंतर मिलता है, तो उसे पहले सीआईएसबीआई में जानकारी अपडेट करनी चाहिए, फिर "शून्य रिपोर्ट" तैयार करनी चाहिए और इसे सीआईएसबीआई के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। (कोई हार्ड कॉपी आवश्यक नहीं है)।

17. प्रत्येक महीने के अंतिम सप्ताह में, बैंकों को पिछले महीने के अंतिम दिन को 'शून्य रिपोर्ट' तैयार करनी होगी, इसे प्रमाणित करना होगा और सीआईएसबीआई पर प्रस्तुत करना होगा। उदाहरण के लिए, जून 2025 के महीने के लिए 'शून्य रिपोर्ट' तैयार की जाएगी और जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तुत की जाएगी।